



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को दिए गए संबोधन के प्रसारण को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विध्य कोठी स्थित निवास पर सुना। मुख्यमंत्री ने शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, का अवलोकन किया।



मुख्यमंत्री ने किया वर्ष 2024 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन, सुनी मन की बात

भोपाल(काप्र)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वर्ष 2024 के मध्य प्रदेश शासन के कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैलेंडर की विषय वस्तु और आकलन की प्रशंसना की।

वर्ष 2024 के मध्य शासन के कैलेंडर में 12 महीनों के चित्र अलग-अलग विशेषात् दिखाने का कार्य करते हैं। कैलेंडर में देश और प्रदेश की विविध छवियों को छायाचित्रों द्वारा चित्रित किया गया

है। इनमें प्रथम पृष्ठ में श्री राम मंदिर महीनों में संत रविदास स्मारक यात्रा, नव संवत्सर गुड़ी पड़वा, महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही भव्य महाकाल लोक, मोहनपुरा कुड़लिया सिंचाई परियोजना राजगढ़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रदेश की विविध छवियों को छायाचित्रों द्वारा चित्रित किया गया

है। इनके साथ ही कैलेंडर में बेटियों के संरक्षण, बेटी बच्चों बेटी पढ़ाओं अधियान, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना, सामान्य जन के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पीएम सम्मान निधि योजना से जुड़ा विवरण शामिल किया गया है। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर नियत्रक शासकीय मुद्रणालय चंद्रशेखर वालिंबे उपस्थित थे।

सुशासन संस्थान का अवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के अवलोकन किया। डॉ. यादव ने संस्थान के पुस्तकालय, बैठक कक्ष, लेकर हॉल और अन्य कक्षों के साथ ही उद्यान परिसर का निरीक्षण किया। डॉ. यादव ने संस्थान का निरीक्षण का संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने सुशासन संस्थान की गतिविधियों पर केन्द्रित प्रजेटेशन भी

देखा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रावबेन सिंह और संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश शर्मा उपस्थित थे।

मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए संबोधन के प्रसारण का आज मुख्यमंत्री ने श्रवण किया। डॉ. यादव ने संस्थान का निरीक्षण का संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने सुशासन संस्थान की गतिविधियों पर केन्द्रित प्रजेटेशन भी

डॉ. यादव आज खरगोन में करेंगे 182 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खरगोन में एक जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एवं अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम नवग्रह मेला ग्राउंड पर होगा। डॉ. यादव 182 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपये की लागत के 41 विकास कार्यों, नानकोड़ी बैराज, झिरन्या एवं करही बैराज भगवानपुरा लागत 7.54 करोड़, भिन्नगांव झिरन्या मार्ग पर 5.88 करोड़ रुपये की लागत के नवन पुल निर्माण, कार्यकल्प योजना 2.0 अंतर्गत खरगोन जिले में 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे।

हिट एं रन पर केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध

जल्द हो सकती है देशभर में हड़ताल

भोपाल(काप्र)

हिट एं रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है। इसका सबसे पहला विरोध ट्रक ड्राइवरों ने किया है। यह ट्रक ड्राइवर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रास्तों में ट्रकों को छोड़कर यानी खड़ा कर भाग रहे हैं।

दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट का कहाना है कि जल्द ही इस कानून को वापस लेनी लिया गया, या फिर इसमें संशोधन नहीं किया गए तो देशभर में इसका असर दिखेगा। एसोसिएशन इस मामले में देशव्यापी हड़ताल करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के खड़े होने की सूचना आ रही है, इसमें मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर, जलबपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन, बैतूल, सिंगरोली, सागर आदि शामिल हैं। ऑल मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली चेयरमैन संसाइल मुकाबी ने बताया कि

इस मामले को लेकर अभी फिलहाल कई स्थानों से सूचनाएं आ रही हैं कि

ट्रक ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि हमने अपील भी की है। इसके अलावा इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। जिसमें उहाँने कानून वापस लेने के लिए पुनर्विचार करने की बात लिखी है। अगर सरकार कानून वापस लेने से मना करती है तो हमसब ट्रकर आंदोलन करेंगे।

2 जनवरी को होगी बैठक

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि हम 2 जनवरी को देशभर के ट्रांसपोर्ट की बैठक करने वाले हैं। इसमें आगे के लिए निर्णय लिए जाएंगे। इस नियम आगे के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरिया छोड़ रहे हैं। अमृतलाल मदान ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में

एकप्रीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खरारे में डाल रहा है। प्रावधान को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए अमृतलाल ने कहा कि हिट एं रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है और इसके पीछे इरादा भी सरकार का अच्छा है, लेकिन जो कानून प्रसवानित है उसमें कई सारी खामियां हैं। जिन पर दोबारा सोचने की जरूरत है।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक 2 जनवरी को है, जिसमें इस बात का फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगों नहीं मानती है, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। ऐसी संभावना है कि आगे वाले समय में संगठन हड़ताल कर दे। यह हड़ताल जनवरी के पहले और दूसरे साहस में हो सकती है।

गुना बस हादसे के विरोध में आंदोलन करेगी कांग्रेस

भोपाल(काप्र)। मध्य प्रदेश के गुना में हुई बस दुर्घटना को लेकर कांग्रेस आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। इसमें कांग्रेस प्रदेश पर में अफिल बसों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे।

कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धीकी ने कहा है कि पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। जल्द ही प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की जाएगी। इधर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस को अपने अंदर ज्ञानकार देखना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में यातायात व्यवस्था की क्या स्थिति थी। बात कार्रवाई की है तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस संबंध में नजीर पेश कर चुके हैं। इस हादसे में 13 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना पर संगठन ने संज्ञान लेते हुए जाच के लिए कमेटी का गठन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुना आरटीओ और नगर पालिका सीएमओ को निलंबित कर दिया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 दिवस में एक हजार पुलिसकर्मी पदोन्नत

भोपाल(काप्र)।

पद भार ग्रहण करने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पुलिस विभाग में आयोजित बैठक के दौरान, पुलिस विभाग के अधिकारियों के मनाबल को बढ़ाने के लिए 15 दिवस में पदोन्नति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक सुधार सरकार द्वारा पुलिस विभाग की सभी शाखाओं एवं विभिन्न पुलिस इकाइयों के पुलिस अधीक्षकों, रेंज डीआईजी और जनल आईजी को योजनाबद्ध तरीके से त्वरित कार्यवाही समय सीमा में निर्मित किए जाने हुए निरीक्षण के लिए जिंदगी और अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की ब्यापारी की जाएगी। प्रशासन शाखा एवं विभिन्न पुलिस इकाइयों की स्थापना शाखा से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों ने अवकाश के दिनों में भी कार्य करके सम्बन्धित शासकीय सेवकों के सेवा विवरण तथा अन्य रिकॉर्ड प्राप्त किये। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सेवा विवरण-रिकॉर्ड के परीक्षण के उपरांत योग्यता सूची जारी कर जिला बल के 298 उप निरीक्षकों का प्रदान की गई।

39 सूबेदारों को रक्षित पद पर एवं विभिन्न जिला इकाइयों द्वारा 242 प्रधान आक्षकों को साहायक उपनिरीक्षक पद पर तथा 210 आक्षकों को प्रधान आक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। विशेष सशस्त्र बल में विभिन्न संवर्गों में 67 उप निरीक्षक से उप निरीक्षक एवं 118 प्रधान आक्षक एवं अनुरूप प्रधान आक्षक